जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

नए कृषि कनेक्शन समय पर जारी करने की प्रक्रिया में डिस्कॉम ने किए प्रावधान

चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य

जयपुर, 31 अगस्त। बजट घोषणा के अनुरुप चालू वित्तीय वर्ष में लक्षित 2 लाख कृषि कनेक्शनों को समय पर जारी करने के लिए डिस्कॉम द्वारा नए कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में प्रावधान किए हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कनेक्शन जारी करने के कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। यह प्रावधान केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही लागू किए गए हैं।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि कनेक्शन का मांगपत्र जमा होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वंय के स्तर पर लाईन व सब–स्टेशन स्थापित करने का विकल्प नही दिया गया है तो ऐसे समस्त कृषि कनेक्शन के लिए सामान परिवहन व लाईन खड़ी करने का कार्य निगम द्वारा किया जाएगा और यदि आवेदक द्वारा विकल्प देने के उपरान्त भी सामान का परिवहन नही किया गया है तो आवेदक का सामान पहुंचाने व जॉब कार्य निगम स्तर पर ही पूर्ण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यदि आवेदक द्वारा सामान का परिवहन तो कर लिया गया है लेकिन जॉब कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होने की स्थिति में निगम द्वारा ही कार्य पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जॉब ऑर्डर की पूर्णता पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, फीडर इंचार्ज, आवेदक व कान्ट्रेक्टर फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और यदि आवेदक उपलब्ध नही है तो कनिष्ठ अभियन्ता, फीडर इंचार्ज व कान्ट्रेक्टर फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से जॉब आर्डर पूर्ण माना जाएगा एवं इसी के अनुरुप सर्विस कनेक्शन जारी किए जाएगें।

श्री गुप्ता ने बताया कि यदि आवेदक कनेक्शन लेने की स्थिति में नही हैं, जैसे कनेक्शन हेतु मोटर–फिटिंग पूर्ण नही है, तो उसका ट्रांसफार्मर स्थापित नही किया जाएगा लेकिन इस वजह से अगली प्राथमिकता वाले कनेक्शनों को नही रोका जाएगा। मोटर फिटिंग पूर्ण नही होने की वजह से जिन आवेदकों के ट्रांसफार्मर स्थापित नही किए गए है, उनकी भविष्य में बिलिंग ट्रांसफार्मर स्थापित होने की तारीख से ही की जाएगी।

———————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या–810/2018